कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID:- nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135-2767611

पत्रांक–1643 /12–1 देहरादूनः दिनांकः 27 फरवरी, 2026

सेवा में,

उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में सोलिया बजानी से मैजुलिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.148 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**
(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/15295/2015)

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/58/2017/ एफ0सी0/503 दिनांक 05.08.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार द्वारा दिनांक 05–08–2021 से कतिपय बिन्दुओं पर ऑख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 4378/12–1–2 दिनांक 17–02–2026 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित किया गया है–

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने बाद ही वन भूमि सौंपी जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः–**	
क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.296 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम कनस्यारी में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए, तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। क्योकि कुल 4.296 है0 भूमि में से 1.0 है0 भूमि MDF है। अतः राज्य सरकार गाईडलाईन पैरा 2.4 ;अपद्ध के अनुसार शेष 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्ययोजना के अनुसार अन्यत्र degraded forest land में लगायेगी तथा इस क्षेत्र का DGPS मानचित्र, shape file पृथक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.296 हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम कनस्यारी में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। उक्त क्षेत्रों में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा। अतः राज्य सरकार गाईडलाईन पैरा 2.4 (vi) के अनुसार शेष 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्ययोजना के अनुसार अन्यत्र degraded forest land गरूड़ कक्ष संख्या 5 में 1.0 है0 में लगाये जायेगे। उक्त क्षेत्र का DGPS मानचित्र, shape file संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्न–1)**
ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0सी0ए0 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 4.296 है0 ग्राम कनस्यारी भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 78/छब्बीस–33, वन(12–13)/2024–25 दिनांक 05.02.2025 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। हस्तान्तरित भूमि को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही गतिमान है। **(संलग्न–2)**

(ग)	वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नंही किया गया है। **(संलग्न–3)।**
4–	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और सतंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 4.296 हे0 प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुयें यथासंशोधित) रू0–15,93,395.00 (पन्द्रह लाख तिरानब्बे हजार तीन सौ पिचानब्बे रू0 मात्र) दिनांक 15.11.2022 द्वारा जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक –4)**
5	**शुद्व वर्तमान मूल्यः–**	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03. 2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006– एफ0सी0 दिनांक 03. 10.2016 एवं 5–3/2007– एफ.सी. दिनांक 05. 02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.148 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05. 2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003ए 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एंवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को रू0 14,11,236.00 (चौदह लाख ग्यारह हजार दो सौ छत्तीस मात्र) का 2.148 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) ऑनलाईन जमा कर दिया गया है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो अंतिम रूप देने के बाद देय होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्न– 5)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 153 चीड़ वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 153 चीड़ वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगा।
8	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण उक्त गाईडलाईन में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। वृक्षों के पातन हेतु आदेश की प्रति भारत सरकार को प्रेषित की जाएगी एवं वृक्षों के पातन का उनके द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

9	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्न–6)**
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों का संख्या बढ़ाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की संख्या बढाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गाति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निष्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगााने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति तो प्राप्त करेगा के कम मे पूर्व से ही प्रारूप सं0–54 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	वन भूमि पर काई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय दन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो ।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	परियोजना कार्य के निश्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्ल्धन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी,

	पर कार्रवाई होगी।	इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित षर्ते लागू होंगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलुवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने के कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने सें पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कियदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायलय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से उपरोक्तानुसार प्राप्त ऑख्या को संस्तुति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया उक्त प्रस्ताव में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या 1643/12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– सचिव वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
3– अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक 4378 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 17/ 2 /2026

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में सोलिया बजानी से मैजुलिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.148 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/15295/2015)**

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/58/2017/ एफ0सी0/503 दिनांक 05.08.2021।

महोदय,

भारत सरकार पर्यारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा **जनपद बागेश्वर में सोलिया बजानी से मैजुलिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.148 है0** वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :–

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी– प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः–**	
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.296 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम कनस्यारी में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए, तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। क्योकि कुल 4.296 है0 भूमि में से 1.0 है0 भूमि MDF है। अतः राज्य सरकार गाईडलाईन पैरा 2.4 (vi) के अनुसार शेष 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्ययोजना के अनुसार अन्यत्र degraded forest land में लगायेगी तथा इस क्षेत्र का DGPS मानचित्र, shape file पृथक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।		क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.296 हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम कनस्यारी में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। उक्त क्षेत्रों में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा। अतः राज्य सरकार गाईडलाईन पैरा 2.4 (vi) के अनुसार शेष 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्ययोजना के अनुसार अन्यत्र degraded forest land गरूड़ कक्ष संख्या 5 में 1.0 हे में लगाये जायेगे। उक्त क्षेत्र का DGPS मानचित्र, shape file संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्न–1)**
ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0सी0ए0 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया		(ग) प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 4.296 है0 ग्राम कनस्यारी भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 78/छब्बीस–33 वन(12–13)/2024–25 दिनांक 05.02.2025 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। **(संलग्न–2)**

जाना आवश्यक है।		
(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(घ) उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नंही किया गया है। **(प्रमाण पत्र संलग्न–3)**।
4– प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और सतंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 4.296 हे0 प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुयें यथासंशोधित)रू0–15,93,395.00 (पन्द्रह लाख तिरानब्बे हजार तीन सौ पिचानब्बे रू0 मात्र) **दिनांक 15.11.2022 द्वारा** जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक –4)**	
5	**शुद्व वर्तमान मूल्यः–**	
(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **2.148** है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003ए 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को रू0 14,11,236.00 (चौदह लाख ग्यारह हजार दो सौ छत्तीस मात्र) का **2.148** है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) ऑनलाईन जमा कर दिया गया है।	
(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो अंतिम रूप देने के बाद देय होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्न– 5)**	
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 153 चीड़ वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 153 चीड़ वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।	
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगा।	
8	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई	प्रयोक्ता अभिकरण उक्त गाईडलाईन में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।	

	और गतिविधि नहीं की जाएगी।	
9	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (संलग्न–6)
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों का संख्या बढ़ाएगा।	आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की संख्या बढाने हेतु प्रयोक्ता अभिारण सहमत है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गाति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निष्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगााने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति तो प्राप्त करेगा के क्रम मे पूर्व से ही प्रारूप सं0–54 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	वन भूमि पर काई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय दन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो. ।	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	परियोजना कार्य के निश्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्ल्धन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित षर्ते लागू	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

	होंगी।	
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलुवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने के कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायलय/अनुदेष आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

संलग्न–तीन प्रतियों में

भवदीय,

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

पत्रांक / दिनांकित ।

प्रतिलिपि – वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 कपकोट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanne

Gmi-4
19/6/2025

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर

पत्रांक 1209/2 ई०व०भू० दिनांक 09/05/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषय:— जनपद बागेश्वर में सोलिया बजानी से मैजुलिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.148 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/15295/2015)

सन्दर्भ:— भारत सरकार के पत्रॉक 8बी0/यू0सी0पी0/06/58/2017/एफ0सी0/503 दिनांक 05.08.2021.

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये है। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तो के अनुपालन आख्या

क0सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नंही बदली जाएगी।	वन भूमि विधिक परिस्थिति नंही बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।"	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी —प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3.	प्रतिपूरक वनीकरण:—	
	क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.296 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम कनस्यारी में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए, तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। क्योंकि कुल 4.296 हे0 भूमि में से 1.0 हे0 भूमि MDF में है। अतः राज्य सरकार गाईडलाईन पैरा 2.4 (vi) के अनुसार शेष 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्ययोजना के अनुसार अन्यत्र degraded forest land में लगायेगी तथा इस क्षेत्र का DGPS मानचित्र, shape file पृथक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 4.296 हे0 प्रतिपूरक वनीकरण के लिए आवश्यक धनराशि रू0 15,93,395.00 मात्र (रू0 पन्द्रह लाख तिरानबे हजार तीन सौ पिचानबे मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN122319728073 Dtd 15.11.2022 द्वारा किया जा चुका है। **(सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न—1)**
	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 4.296 है0 ग्राम कनस्यारी की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु रू0 15,93,395.00 मात्र (रू0 पन्द्रह लाख तिरानबे हजार तीन सौ पिचानबे मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN122319728073 Dtd 15.11.2022 द्वारा किया जा चुका है। **(सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न—1)** साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 4.296

प्रयोजन हस्ताक्षर 5058
दिनांक
प्राप्त ... 19/6/2025
पत्रावली ... 12-1-2
आवश्यक कार्यवाही करें।

7	परियोजना के तहत परियोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित /जमा किए जाएगें।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धन ई–पोर्टल (https:// parivesh.nic.in.) के माध्यम से क्षतिपूर्वक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फड में स्थानांतरित/जमा किया गया है **(चालान की प्रति संलग्न)।**
8	गाईडलाईन में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 1.1.1 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कइस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	गाईडलाईन में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्न–5)**
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा– प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गाति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निष्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगााने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	पर्यावरण संरक्षणः अधिनियम 1986 के प्रावधानों के कम मे प्रस्ताव में प्रारूप सं0–54 के नुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नंही है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नंही बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नंही बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नंही करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विषेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विषेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायलय आदेष/ अनुदेष आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायलय/अनुदेष आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी,	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना चार प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न– सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/58/2017/एफ.सी./503 दिनांक:05/08/2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:– जनपद– बागेश्वर में सोलिया बजानी से मैजुलिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.148 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/Road/15295/2015)

सन्दर्भ:– प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–580/x-4-17/1(72)/2017 दिनांक 28.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.07.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार– **जनपद– बागेश्वर में सोलिया बजानी से मैजुलिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.148 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.296 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम कनस्यारी में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। क्योंकि कुल 4.296 हे0 भूमि मे से 1.0 हे0 भूमि MDF है। अतः राज्य सरकार गाईडलाईन पैरा 2.4 (vi) के अनुसार शेष 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्ययोजना के अनुसार अन्यत्र degraded forest land में लगायेगी तथा इस क्षेत्र का DGPS मानचित्र, shape file पृथक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ.सी.ए., 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में

P.C Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.148 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 153 चीड़ वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

8. गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

11. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

13. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

14. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

P.C Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

2/3 contd..

16. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
18. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
20. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
22. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
23. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
24. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

जियोरेफरेंसिंग मैप –मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–803/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में गढ़खेत मोटर मार्ग के स्थान पर सोलिया बजानी से मैजुलिया 3.20 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल बैजनाथ वन क्षेत्र अन्तर्गत गरुड़ क्र० सं० – 5 , क्षेत्रफल–1.0 है०

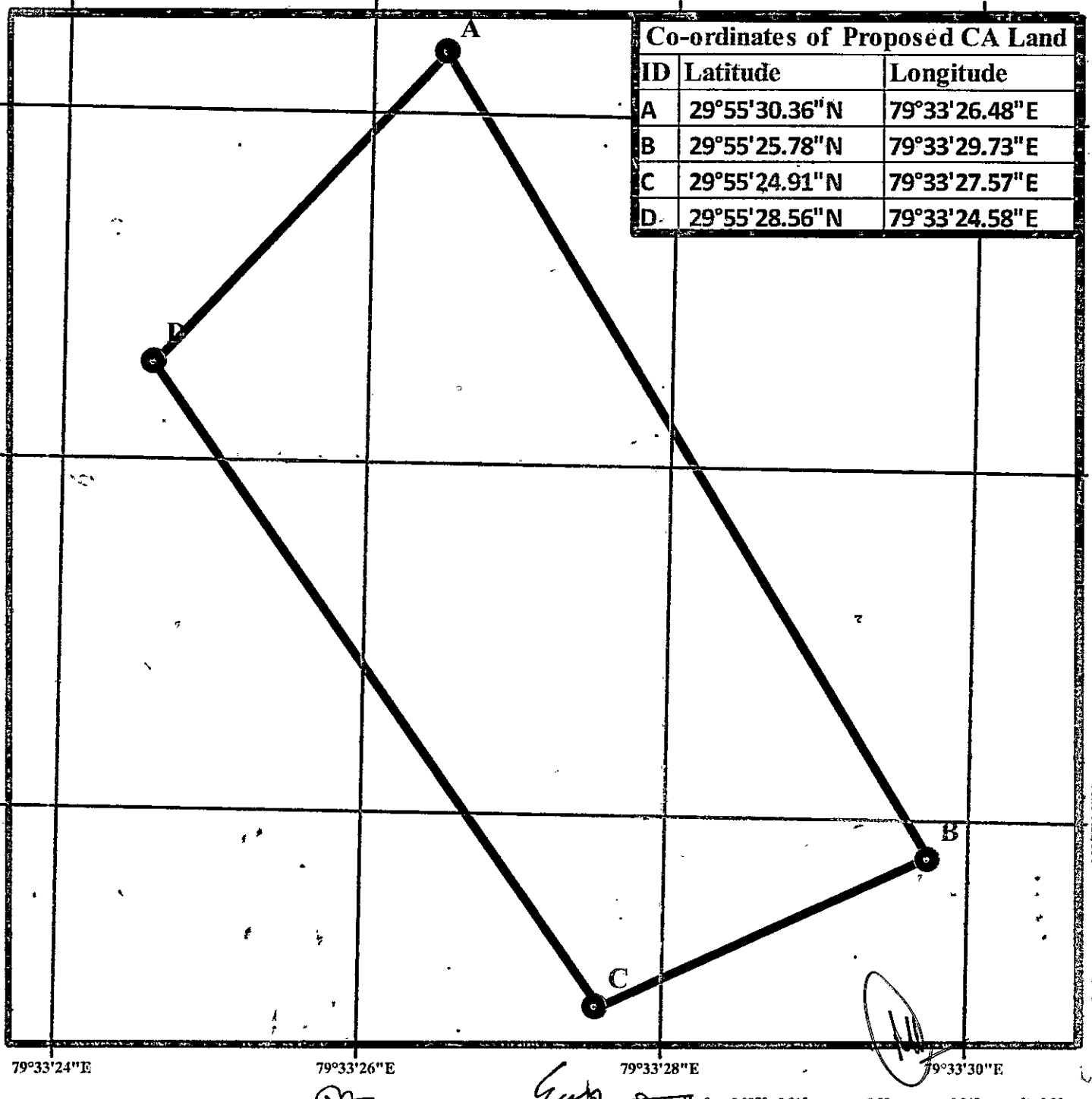

Co-ordinates of Proposed CA Land		
ID	Latitude	Longitude
A	29°55'30.36"N	79°33'26.48"E
B	29°55'25.78"N	79°33'29.73"E
C	29°55'24.91"N	79°33'27.57"E
D	29°55'28.56"N	79°33'24.58"E

Legend

CA Propose land GPS Points

CA Propose Land

0 0.0075 0.015 0.03 0.045 0.06

Scale 1:1000

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
बैजनाथ वन क्षेत्र (पुरड़ा)

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गढ़खेत (वज्यूला)

Prepared by:UFTA, Haldwani

डिजिटल मैप – मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–803 / 2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में गढ़खेत मोटर मार्ग के स्थान पर सोलिया बजानी से मैजुलिया 3.20 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण कार्य-हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल बैजनाथ वन क्षेत्र अन्तर्गत गरुड़ क्र० सं० – 5 , क्षेत्रफल–1.0 है०

SOI Toposheet No: 53O09-53O13

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, सो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड सो० नि०
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गढ़खेत (बज्यूला)

Prepared by:UFTA, Haldwani

आदेश

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत सोलिया बजानी से मैजुलिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.148 है0 वन भूमि को लोक निर्माण विभाग बागेश्वर को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्र संख्याः 08बी/यू0सी0पी0/06/58/2017/एफ0सी0/503 दिनांक 05.08.2021 से निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृत के कम में उपजिलाधिकारी,गरूड़ की आख्या दिनांक 20 जनवरी,2025 से जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत सोलिया बजानी से मैजुलिया मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त 2.148है0 वन भूमि की दुगुनी 4.296है0 भूमि, जो ग्राम कनस्यारी,राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गरूड़, तहसील गरूड़ के गैर ज0वि0ख0खा0 संख्या–72 में दर्ज पैमाईशी खसरा संख्या–2666 रकवा 0.459है0, 2667 रकवा 0.250है0, 2668 रकवा 0.503है0, 2669 रकवा 0.510है0, 2670 रकवा 0.500है0, 2671 रकवा 0.380है0, 2672 रकवा 0.399है0, 2673 रकवा 0.375है0, 2674 रकवा 0.375है0, 2675 रकवा 0.525है0, 2676 क्षेत्रफल 0.468है0 म0 0.014है0 इस प्रकार कुल 4.296है0 श्रेणी 9(3)ख(1) की भूमि का प्रस्ताव क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराया गया है।

अतः शासनादेश संख्याः 2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र दिनांक 05.08.2021 में निहित शर्तों के अधीन उक्तानुसार चिन्हित/प्रस्तावित कुल 4.296है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर।

संख्याः 78/छब्बीस–33वन(12–13)/2024–25 दिनांक 05/02/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एंव अनुपालनार्थ प्रेषित :–

01. प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर।
02. उपजिलाधिकारी,गरूड़।
03. अधिशासी अभियन्ता,प्रान्तीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग,बागेश्वर।
04. तहसीलदार,गरूड़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण–पत्र सहित वन विभाग एवं याचक विभाग को उपलब्ध करवाते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

(3)

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद बागेश्वर में सोलिया बजानी से गैजुलिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.148 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/15295/2015)

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/15295/2015 में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 (ग) के अनुपालन में प्रस्ताव में चयनित 4.296 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र ग्राम कनस्यारी भूमि में पूर्व में किसी भी योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
वैजनाथ वन क्षेत्र (गुरुड़ा)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष/फैक्स नं0 : 05963–220249 फैक्स नं0 05963–220209

पत्रांक 2392 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 23 / 12 / 2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर।

विषय – जनपद बागेश्वर में सोलिया बजानी से मैजुलिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.148 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपा में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/58/2017/एफ0सी0/503 दिनांक 05.08.2021।
2. उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑकलन प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1459/3–5–2 दिनॉक 01.07.2021 के द्वारा निर्धारित दरो के कम में वर्ष 2021–22 के दर से वसूली वर्ष हेतु किया गया है । अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापित के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	घनत्व	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	2.148 है0	5	0.1	6,57,000.00	14,11,236.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	4.296 है0	"—"	"—"	3,70,902.00	15,93,395.00

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\demand note.docx"

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

पत्रांक – 2823 /कैश, दिनांक 14/11/22

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक
बागेश्वर।

विषय :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम आहरित धनराशि को उत्तरांचल कैम्पा में NEFT/RTGS करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम बैकर्स चैक सं0– 639080 दिनांक 09.11.2022 ₹ 3004631.00 मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं0– 150896115295214 IFSC Code- UBIN0996335 में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें।

संलग्न :– बैकर्स चैक सं0–639080 दिनांक 09.11.2022 ₹ 3004631.00 मूल में।

14.11.2022
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर।

पत्रांक :– 2823 /कैश, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि, वनभूमि सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

14.11.2022
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर।

SBIN122319726073

P.C. Attested

15/11/2022

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

Bill Type : Normal

Voc No 74

E-Sign
Executive Engineer
Provl. Division P.W.D
Bageshwar

Bill Date - 23-9-2022
Transaction ID - MI8900422709221032

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -1
(देखे अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

जनपद का नाम : बागेश्वर
कोषागार का नाम : बागेश्वर
देयक की अवधि कब से .... कब तक
विभाग कोड: 1 0 3
कोषागार/उपकोषागार का कोड: 8 9 0 0
देयक पंजी की क्रम संख्या: 2 5 6
वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है): 0
वाउचर दिनांक: -
मतदेय/भारित : मतदेय

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण
मुख्य लेखाशीर्षक - (5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक - (04)जिला तथा अन्य सड़के
लघुशीर्षक - (337)सड़क निर्माण कार्य
उपशीर्षक - (03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक - (04)एन0पी0बी0 का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)

लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक +3 लघुशीर्षक+2 उपशीर्षक+2 ब्योरेवार शीर्षक): 5 0 5 4 0 4 3 3 7 0 3 0 4 5 4
आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम : अधिशासी अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी डब्लू डी बागेश्वर
आहरण वितरण अधिकारी का कोड: 4 2 2 7
अधिष्ठान का नाम : अधिशासी अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी डब्लू डी बागेश्वर
अनुदान संख्या :(022)लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान 14- सोर्स कोड :0 15- सेक्टर कोड : 16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)
स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें) Project : PR8900422701201017 Soliya-Bajani-Majuliya motor road in District Bageshwar under CM Ghosna-803/2014 (Stage-I)
Contract :

बजट की वर्तमान स्थिति

मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
भूमि क्रय	9520155	9520155	0

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	30,04,631
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	30,04,631

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण

77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	30,04,631

Sl. No.	व्यय सम्बन्धी विवरण	धनराशि रु0	अभ्युक्ति
1	mamo /22-SEP-2022/	30,04,631	
66- सकल धनराशि अग्रिम समायोजन के बाद		30,04,631	
77- सम्पूर्ण कटौतियां		-	
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77		30,04,631	

P.C. Attested
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद देयक प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

विभागीय लेखाकार /लेखाधिकारी
प्रान्तीय लेखाधिकारी
लो0नि0वि0 बागेश्वर

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
Executive Engineer
Provl. Division P.W.D
Bageshwar

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
(केवल काउन्टरसाइन बजट के प्रकरण में ही आवश्यक)
(पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)
Executive Engineer
Provl. Division P.W.D
Bageshwar

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु
रु0 30,04,631 (Rupees Thirty Lacs Four Thousand Six Hundred Thirty One Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है
द्वारा रु0 -
धनराशि रु0 30,04,631

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

No.	Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
1	Executive Engineer PD PWDBageswar	Saving	D		3004631	0	0	3004631
					3004631	0	0	3004631

2.37
प्रपत्र– 51

5

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में सोलिया बजानी–मैजुलिया मोटर मार्ग का निर्माण ।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/ भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No- Manral

Dated- 04.09.2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.148** **hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT for Construction of Solia Bajani to Majuliya motor road** in Bageshwar district falls within jurisdiction of **Jakhera and Soliya Bajani** villages in **Garur** Tehsil.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.148** **hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committe(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-4.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Signature

Dated 04.09.2015

(Bhupal Singh Manral,)

जिलाधिकारी/Collector

बागेश्वर

(Full name and official seal of the District Collector)

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी

बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30.3

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में सोलिया बजानी–मैजुलिया मोटर मार्ग का निर्माण ।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित सोलिया बजानी–मैजुलिया मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.148 .है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गरूड़ तथा सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

दिनांक 04.09.2015

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोटः– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30.2

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1–	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3–	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/ सचिव

आज दिनांक 04.09.2015 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरूड़ के प्रमाण पत्र दिनांक 27.8.15 द्वारा सोलिया बजानी–मैजुलिया मोटर मार्ग के लिए 2.148 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा सोलिया बजानी–मैजुलिया मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरूड़ के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर सोलिया बजानी–मैजुलिया मोटर मार्ग के लिए 2.148 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा सोलिया बजानी–मैजुलिया मोटर मार्ग के लिए 2.148 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नाम:– जनपद बागेश्वर में सोलिया बजानी–मैजुलिया मोटर मार्ग का निर्माण ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी गरूड़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति– गरूड़

उपखण्ड गरूड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत सोलिया बजानी–मैजुलिया मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (2.148 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.00 है0, सिविल सोयम वन भूमि, 0.00 है0, वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल 2.148 है0 वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील गरूड़ की दिनांक 27.08.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समति की बैठक श्री एस0एस0जंगपांगी. उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री एस0एस0जंगपांगी.	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री एस0एन0 त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री राजेन्द्र प्रसाद	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4–	श्री गोपाल सिंह नगी	बी0डी0सी0 क्षेत्र गड़खेत	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सोलिया बजानी–मैजुलिया मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.148 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड गरूड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत सोलिया बजानी–मैजुलिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.158 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरूड़
जनपद बागेश्वर

उप जिलाधिकारी
गरूड़
बागेश्वर (उ० ख०)

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरूड़
जनपद बागेश्वर (उ० ख०)

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में सोलिया बजानी–मैजुलिया मोटर मार्ग का निर्माण ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ...उड़खेत
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड में सोलिया बजानी–मैजुलिया मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (2.148 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.148 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत उड़खेत......द्वारा दिनांक 12.8.2015 को ~~सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के~~ सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उड़खेत....एवं तोक........—........के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0/ ग्राम सचिव — ग्राम पंचायत ~~विकास अधिकारी~~ क्षेत्र ... वि0 ख0 – गरूड़ (बागेश्वर)

सदस्य
क्षेत्र पंचायत जैसर
वि0 ख0 गरूड़ (बागेश्वर)

प्रधान
ग्राम पंचायत उड़खेत
ग्राम प्रधान

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में सोलिया बजानी–मैजुलिया मोटर मार्ग का निर्माण ।

दिनाक 12.8.2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बाङरेवल

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रामसिंह S/ दानसिंह	रामसिंह
2	कुन्दनसिंह S/ पदमसिंह	[illegible]
3	नन्दनसिंह S/ ~~[illegible]~~ मोहनसिंह	[illegible]
4	पदमसिंह S/ धनसिंह	[illegible]
5	नैनसिंह S/ पदमसिंह	[illegible]
6	प्रतापसिंह S/ ~~[illegible]~~ अमर सिंह	[illegible]
7	दुर्गा देवी – उत्तम सिंह	दुर्गा देवी
8	[illegible]	[illegible]
9	कृष्णसिंह चन्द्र सिंह	[illegible] देवी
10	गोपिली देवी	[illegible] सिंह, गोपिली देवी
11	प्रतापसिंह s/o [illegible]	[illegible]
12	तारा देवी w/o प्रतापसिंह	[illegible]
13	राजेन्द्र सिंह फर्स्वाण	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]
15	मालती देवी	मालती देवी
16	गोपाल सिंह	गोपालसिंह
17	गीता देवी	गीता देवी
18	मदनसिंह	मदन[illegible]

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र [illegible]
वि0 ख0 – गरुड़ (बागेश्वर)

सदस्य
क्षेत्र पंचायत जैसर
वि0 ख0 गरुड़ (बागेश्वर)

प्रधान
ग्राम पंचायत गढ़खेत
वि0 ख0 गरुड़ (बागेश्वर)

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर